संख्या–2877 / 60–2–13–2 / 3(25) / 97

प्रेषक,

मिश्रीलाल पासवान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उ0प्र0 लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2 **लखनऊ:दिनांक / फरवरी, 2014**

विषयः– आई.सी.डी.एस. योजना के अन्तर्गत मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को दिये जाने वाले मानदेय की दरों में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–905 / 60–2–2012–2 / 3(25)97 दिनांक 16.05.2012 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्या–1–13 / 2013–सीडी–। दिनांक 23.08.13 द्वारा मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को दिये जाने वाले मानदेय की दरों को दिनांक 04.07.2013 से बढ़ाये जाने के संसूचित निर्णय के अनुकम में शासन द्वारा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय की वर्तमान दर रूपये 1500 / – प्रतिमाह को संशोधित करते हुए दिनांक 04.07.2013 से रूपये 2250 / – प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

2. कृपया उपरोक्त संशोधित दरों के अनुसार मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय का एरियर सहित भुगतान सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–3–282 / दस–2014, दिनांक 04.02.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मिश्रीलाल पासवान)
विशेष सचिव

संख्या–2877(1) / 60–2–14–2 / 3(25) / 97, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार उत्तर प्रदेश, लेखा प्रथम / आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहबाद।
2. अनुसचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को पत्र संख्या–1–13 / 2013–सीडी–। दिनांक 23.08.13 के संदर्भ में।
3. समस्त जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त जिला कार्यकम अधिकारी / कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 / वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1।
6. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग / राज्य योजना आयोग–1।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
अनुसचिव

C:\Documents and Settings\anubhag 2\Desktop\SECTION-2-M- 2014\pal\GO- 2014.doc